



23/10/19

वकील उमर पद्म उपस्थित। अजायेगीत की ओर से लयाप धर्मना  
पत्र पेश शामिल मिसल है। वारने वाहस दिनांक 19/12/19 को  
पेश है। 

7/9/20

वकील उमर पद्म उपस्थित। बूँकि रूल दावा किश्रीं किपे जामे पर खारिज  
किपा जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह धर्मना पत्र 01512 RTA की  
खारिज किपा जाता है। धररी शुदा रूक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक  
07-03-2019 निरस्त किपा जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर बाद  
तकमील दावदो हो 

सहाय क कलक्टर  
भरतपुर